

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(गुराशी लाल शर्मा, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

23 / 2021
27.08.2021

मदन पुत्र ग्यारसा जाति बैरवा निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज०

—अपीलान्त

बनाम

नायब तहसीलदार दूनी जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी दिनांक
24.08.2021 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्त
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 09.09.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 24.08.2021 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बर 56 मे से रकबा 0.02 है० किरम गै०गु० चरागाह बाके ग्राम सरोली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्त ने नायब तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कागून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा अपीलांत की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अपीलांत का किसी भी सरकारी भूमि पर न तो पहले कब्जा था और न ही वर्तमान मे कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व गौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं गंगवाई और न ही मौका निरीक्षण किया गया है। अपीलांत ने कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र/अन्डर टेंकिंग अपील गीमां के साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।



1009



अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राग्गन पर अपीलान्ट की विधिवत तागील हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इसरो पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी गै0मु0 चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर सिविल कारावास की राजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट की विधिवत रूप से तागील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 56 गे से रकबा 0.02 है0 किरम गै0मु0 चरागाह बाके ग्राम सरोली तहसील दूनी पर कब्जा, डोल, तारवंदी लगाकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जा प्रस्तुत किया। राजकीय परोकार ने भी अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.08.2021 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की राजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि नायब तहसीलदार दूनी यह सुनिश्चित करेंगे की अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलान्ट कब्जा नहीं करेगा। यदि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। नायब तहसीलदार दूनी हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



09.09.2021
अति.जिला कलेक्टर, टोक